

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 75/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/215

अनवान

1. श्री जगदीश दत्तक पुत्र राधु नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती सोहनी पुत्री मोडा नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती मोहनी पुत्री मोडा नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री बगदीराम पुत्र भगवान लाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती भवरी देवी पुत्री भगवान लाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्रीमती चन्दा देवी पुत्री भगवान लाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्रीमती श्यामु पुत्री भगवान लाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती हरिबाई पत्नी भगवान लाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
9. श्री उदयलाल पिता उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
10. श्री भेरूलाल पिता उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
11. श्रीमती नारायणी बाई पुत्री उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
12. श्रीमती देउ बाई पुत्री उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र छोगालाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 2. श्री कलाश पुत्र छोगालाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 3. श्री गणेश पुत्र छोगालाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 4. श्रीमती रूकमणी बाई देवा स्व. छोगालाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 5. श्री प्रकाश पुत्र उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 6. श्री मोहन पुत्र उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 7. श्रीमती शंकरी पुत्री उंकारलाल नाई पत्नी हीरालाल निवासी संग्रामपुरा कानोड हाल निवासी मोरवण तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ राज.।
 8. श्रीमती सुवागी बाई पत्नी उंकारलाल नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
 9. मागीया पुत्र चैना नाई निवासी संग्रामपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.08.2025 को श्री रमेश चन्द्र वर्हेडिया सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और रिपोर्ट जाती है कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड, जिला उदयपुर राज निम्न आराजियात का वंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगन
1	अशोक कुमार 1/24, कैलाश 1/24, गणेश 1/24 पिता छोंगा, लुकमणी बाई 1/24 पत्नी स्व. छोंगा, प्रकाश 1/18 मोहन 1/18 शंकरीबाई 1/18 पिता उंकार, मांगीया पुत्र चेना 1/6, बगदीराम 2/105, भवरी बाई 2/105, श्यामुबाई 2/105, चन्दा देवी 2/105 पिता भगवानलाल, हरिबाई 2/105 पत्नी भगवानलाल, जगदीश 2/21 दत्तक पुत्र राधु, सोवनी 2/21 पुत्री मोडा, मोवनी 2/21 पुत्री मोडा, भेरूलाल 1/42, उदयलाल 1/42 देऊबाई 1/42, नारायणी 1/42 पिता उंकार, दिनेश 1/252, दुर्गा 1/252, पुष्पा 1/252 पिता लच्छीराम, शम्भु 1/168, पारस 1/168 माता घीसी बाई जाति नाई सा. देह खातेदार	369/1	0.01	रास्ता	-
	योग	किता 1	0.0100	-	-
2	अशोक कुमार 1/12, कैलाश 1/12, गणेश 1/12 पिता छोंगा, लुकमणीबाई 1/12 पत्नी स्व. छोंगा, प्रकाश 1/9, मोहन 1/9 शंकरी बाई 1/9 पिता उंकार, मांगीया पुत्र चेना 1/3 जाति नाई सा. देह खातेदार	369/2 369/3 397	0.10 0.04 0.01	पडत प्रथम पडत प्रथम पडत प्रथम	- 0.30 0.12 0.03
	योग	किता 3	0.1500	-	0.45
3	बगदीराम 4/105, भवरीबाई 4/105, श्यामुबाई 4/105, चन्दादेवी 4/105 पिता भगवानलाल, हरिबाई 4/105 पत्नी स्व. भगवानलाल, जगदीश 4/21 दत्तक पुत्र राधु, सोवनी 4/21 पुत्री मोडा, मोवनी 4/21 पुत्री मोडा, भेरूलाल 1/21, नारायणी 1/21, उदयलाल 1/21, देऊबाई 1/21 पिता उंकार, दिनेश 2/252, दुर्गा 2/252, पुष्पा 2/252 पिता लच्छीराम, शम्भु 2/168, पारस 2/168 माता घीसीबाई जाति नाई सा. देह खातेदार	368 369/4 369/5	0.01 0.10 0.04	पडत प्रथम पडत प्रथम पडत प्रथम	0.03 0.30 0.12
	योग	किता 3	0.1500	-	0.45

नोट- उक्त अन्तिम डिक्ली का नक्शा ट्रेस अनिल अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करी अन्तिम डिक्ली अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।